



कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

क्रमांक : चित्तौड़गढ़/अग्नि/2022-23/ 8468

जारी दिनांक :

16/11/22

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री : दलपत सिंह ओस्तवाल


आवेदक का पता : ग्राम छापरी तं. डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

विषय :- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

आपके भवन यू.एस. ओस्तवाल इन्टरनेशनल स्कूल, गांव छापरी त. डूंगला जिला चित्तौड़गढ़, (स्कूल) का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें :-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।


अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

प्र. क्र. 4

नियम 22, 23 तथा 24 (1) के अन्तर्गत



रु.

2100/-

नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

16

पुस्तक संख्या 1016

क्रमांक

श्री श्री. आर. काल इन्फोर्मेसन स्कूल गुरुवापरी, तह. डुगला, से

रुपये शब्दों में दो हजार एक सौ रुपये मात्र

कारण काय NDC नवीनीकरण युक्त वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत से

अवधि के लिये

निम्न योग के भुगतान स्वरूप पूर्णतः / अंशत प्राप्त किये।

प्रसंग मांग संग्रहण पंजिका का क्रमांक

प्रणामी योग

विपत्र संख्या

दिनांक

रु.

2100/-

दिनांक

16/11/22

आयुक्त